

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 8(2)राज/वाद/2020

जयपुर दिनांक 06-07-2020

समस्त विशिष्ट लोक अभियोजक
(एन.डी.पी.एस.) प्रकरण,
राजस्थान ----- ।


विषय:— एन.डी.पी.एस. न्यायालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले आरोप पत्रों में अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट (Briefs) तैयार करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में स्थापित आरम्भिक अधिकारिकता प्राप्त (Original Jurisdiction) एन.डी.पी.एस. न्यायालयों में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अभियोजन संवीक्षा रिपोर्ट (Briefs) तैयार करने हेतु संबंधित न्यायालयों में पैरवीरत विशिष्ट लोक अभियोजकगण को सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है ।

हउ
(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशेषाधिकारी (जीएसवाई) माननीय मुख्यमंत्री ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) ।
4. समस्त एन.डी.पी.एस., न्यायालय ।
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर ।
6. प्रोग्रामर विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. रक्षित पत्रावली ।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि